"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2006—श्रावण 10, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त, 2006 (श्रावण 10, 1928)

क्रमांक-9467/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 क उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006), जो दिनांक 1 अगस्त, 2006 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006" के नाम से जाना जावेगा.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005.

अनुसूची में संशोधन

3. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी, यथा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्व-विद्यालय.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेक्ना-लॉजी (आई सेक्ट).	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य 208 दिनांक 14-8-2002.	करगी रोड कोटा, जिला बिलासपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य.	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को तकनीकी (अभियांत्रिकी, ग्रामीण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय.	श्री भगवान महावीर जैन एजेकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य 2342 दिनांक 7-5-2003.	आरंग-खरोरा हांईवे ग्राम पंचायत गुल्लु ग्राम गुल्लु तहसील आरंग जिला रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य.	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों को प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						सूचना प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अधीन दो प्रायोजक निकायों ने विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये आवेदन किया तथा इस अधिनियम के अधीन आवश्यक अपेक्षाओं को पूर्ण किया. शिक्षा में भागीदारी के लिये तथा उनके मानक के संधारण के लिये यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है. अतएव राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) को संशोधित करने एवं छत्तीसगढ़ राज्य हेतु दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 27 जुलाई, 2006

अजय चन्द्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 (1) व अनुसूची का उद्धरण

* *

धारा - 9 (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय की धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा.

* *

अनुसूची

[धारा 9 (1) के अंतर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.